

~~138/1416~~  
138/1416  
21/21  
13/12

प्रस्तुत  
FOIM

दिनांक 31/12/17 दोष वर्ष २०१७ के लिए अचल संपत्ति का विवरण

**STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR**

AS ON

अधिकारी का नाम :

Name of the officer:

संगठन का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है

યત્નમાન વેદાન

### Present Pay

61.3001

वर्तमान पढ़े।

**Present Post held:**

$$\left( \frac{1}{2} \sqrt{\lambda^2 - 1}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cos(\theta) \right) = \left( \frac{1}{2} \sqrt{\lambda^2 - 1}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

जिला, तालुक और गांव का नाम जहाँ स्थापित है	परिवर्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम तथा संख्या है	कर्तव्यगत मूल्य Present Value	यदि नपरिवर्ति अपने स्वार्य का नाम पर नहीं है तो उसाएं कि किसके नाम से है स्था उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध पड़ा है ?	सम्पादक के जाऊंच की गई ? यदा खालीदी गई, घटट पर ली गई ? मंदिर, उत्तराधिकार, उपहर अथवा किसी अन्य जीव से ली गई ? जारीखा जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई ?	सम्पादक से वापरक आय Annual Income from the property.	अधिकारी Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

जो खाता लगा नहीं है, उसे खट दिया जाए। Inapplicable clause be struck out.

'अहं गृह्य क्षमा राटीला आक्लभ संभव नहीं है वहाँ दर्शन सिधारि के दर्शर्प में अनुरामित मूल्य ग्रहित्वा किया जाए।

Because where it is not possible to assess the values accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

<sup>\*\*</sup> अधिकारी द्वारे परमि यह भी संकेत है। includes short term lease also.

**प्रियकरी :** घोषणा पत्र भवन्ना समाज द्वारे कैलंगीय सिद्धिश रोडा (आदरण) निवासापाली, 1554 के नियम 18(1) के अधीन योगा में प्रदान नियुक्ति वर्ष दर्शणीय ददा श्रीजी ॥ [वर्णीय] एवं वर्ग (ए)के इलेक्ट्रोल रस्तव्य द्वारा प्रस्तुत करना आधिकारक है और इसके परिणाम इसे प्रत्येक वर्ष को अंतराल दर पर आई-टिसामें ऊपरी नाम पर अटका उत्तरक परिवार के हिस्सी रस्तव्य के नाम पर अथवा उन्न्य छिन्नी खरित के नाम पर भाजित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पढ़ते पर ही गाँव ग्रामवासी संस्कृत संस्कृति लालं चिवरण दिया गया है ।

Note : The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

कृतानुषिद्धारा

Digitized by srujanika@gmail.com

08/12/17